व्हिसल ब्लोअर दिशानिर्देश

(सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता के संरक्षण संबंधी भारत सरकार के संकल्प के आधार पर (पीआईडीपीआई)

भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नामित एजेंसी के रूप में और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उस मंत्रालय या विभाग या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के आरोप पर लिखित शिकायत या प्रकटीकरण प्राप्त करने हेतु नामित प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है. केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण इस मंत्रालय या विभाग के क्षेत्राधिकार में आते हैं.

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि इस संकल्प के अंतर्गत की जाने वाली किसी भी शिकायत में निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए :

1. यह शिकायत एक **बंद/सीलबंद लिफाफे** में होनी चाहिए, जो सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित हो
2. लिफाफे पर "**जनहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत**" लिखा होना चाहिए. लिफाफे पर इस प्रकार लिखित और बंद/सील नहीं किए जाने पर नामित एजेंसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग)/नामित प्राधिकारी (भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी) के लिए उपरोक्त प्रस्ताव के अंतर्गत शिकायतकर्ता का बचाव करना संभव नहीं होगा और ऐसे शिकायतों पर आयोग की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
3. शिकायतकर्ता को अपना नाम और पता शिकायत के आरंभ या अंत में लिखना चाहिए अथवा इस संबंध में एक पत्र संलग्न किया जाए.
4. नामित एजेंसी या नामित प्राधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को पत्र लिखकर इसका पता लगाया जाएगा कि शिकायत करने वाला व्यक्ति वही था अथवा नहीं.
5. प्रकटीकरण या शिकायत में यथासंभव पूर्ण विवरण शामिल किया जाना है और इसके साथ संबंधित दस्तावेज या अन्य सामग्री संलग्न की जायगी.
6. शिकायत के पाठ को सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसकी पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न दिया जा सके. तथापि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए.
7. व्यक्ति की पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, कोई पावती जारी नहीं की जाएगी और सूचनादाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने हित में इससे संबंधित कोई पत्राचार न करें.
8. नामित एजेंसी या नामित प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, प्रकटीकरण/शिकायत करने वाले व्यक्ति से आगे की जानकारी या विवरण मांग सकता है.

9. बेनामी /छद्म नाम वाली शिकायतों के मामले में, आयोग या नामित एजेंसी या नामित प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
10. शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने स्वयं शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया हो अथवा किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान का खुलासा न किया हो.
11. यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से चिंतित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत या प्रकटीकरण दर्ज किया था, तो वह इस मामले में निवारण के लिए नामित एजेंसी या नामित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिनके द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी.
12. शिकायतकर्ता के आवेदन अथवा संकलित जानकारी के आधार पर, यदि नामित एजेंसी / नामित प्राधिकारी की राय में शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित एजेंसी / नामित प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी.
13. यदि नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी को प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त शिकायत किसी से प्रेरित या फर्जी प्रतीत होती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

उपर्युक्त के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति http://www.cvc.nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

पीआईडीपीआई संकल्प के अंतर्गत की जाने वाली शिकायतें सीधे सीवीसी, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए, क्योंकि बैंक को इसके निपटान का अधिकार नहीं है.